40/09 सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। इस वाद में रेस्पो0 की उपस्थिति में स्थगन आदेश जारी है। बावजूद स्थगन आदेश रेस्पो0 ने प्रश्नगत इन्तकाल दर्ज करवाया है। धारा 135 लैण्ड रेवेन्यु के तहत बिना कब्जा की भूमि का इन्तकाल रेस्पो0 के पक्ष में करना अवैध है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन इन्तकाल खारिज किया जावे।

अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा लिखित बहस पेश कर कथन किया कि अपीलाट द्वारा सही तथ्य छुपाये हैं मालू राम के नाम से चक 4 एआरडब्ल्यु/ए व 35 एनडीआर में 48 बीघा जमीन थी जगराम जो सावित्री का पति है व सजना का दामाद है ने अपने आपको फर्जी खोलायत पत्र बताकर मालूराम की 48 बीघा में से 24 बीघा अपने नाम करवा ली व 24 बीघा सजना के नाम रही। सजना ने 2 बीघा जमीन स्मालपेच में अलाट करवा ली व सजना की मृत्यु के बाद सजना के पुत्र ओम प्रकाश बनवारी लाल शांति सावित्री लिछमा व गुडडी के नाम 26 बीघा का विरासतन इन्तकाल दर्ज हुआ। बनवारी ने अपना हिस्सा बेच दिया व सावित्री ने जरिये डिक्री अपना खाता अलग करवा लिया। इसके बाद शेष जमीन में शांति लिछमा गुडडी व ओम प्रकाश सहखातेदार रह गये। सहखातेदार होने के नाते शांति, लिछमा व गुडडी ने अपना हक अपने भाई ओम प्रकाश के हक में तर्क कर दिया । जिसका इन्तकाल ओमप्रकाश ने नाम हुआ, जिसकी अपील है। सावित्री ने अपना हक पहले ले लिया था। इसलिए अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन इन्तकाल रिकार्डेड सहखातेदारान द्वारा अपने भाई के पक्ष में जरिये पंजीबद्ध दस्तबरदारी करने से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। अपीलांट का Locustandy भी नहीं है। अपीलांट का प्रकरण घोषणात्मक है जिसको सक्षम न्यायालय से ही निर्णित कराया जा सकता है। इसलिए अपीलाधीन इन्तकाल में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज इन्तकाल चक 4 ए.आर.डब्ल्यु/ए सं0 148 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय कारिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.6.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official